

पीएम और सीएम की घोषणा का स्वागत वीरगंगा रानी दुर्गावती को मिलेगी देशव्यापी पहचान

जबलपुर। प्रधानमंत्री ने दुर्गावती को शौर्य गाथा को देश भर में घर-घर पहुंचाने का संकल्प भी लिया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वीरगंगा की शौर्य गाथा पर फिल्म बनी, वहीं का सिक्का जारी होगा और डाक टिकट भी जारी होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में रानी दुर्गावती का विराट स्मारक बनाने की भी घोषणा की है और अभी घोषणा की है कि इस स्मारक पर पूर्व एवं अखंडता होगा करेगा।

महा मंडला राज्य की महान वीरगंगा रानी दुर्गावती के साथ इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया और उनके इतिहास को लेकर कहीं कुछ विशेष रस से लिखा भी नहीं गया। शहर की साहित्यिक संस्कृतिक संस्था मित्र संघ के संस्थापक स्व.अजित वर्मा ने 1971 में वीरगंगा दुर्गावती के बलिदान और उनकी शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए वीरगंगा की बाराह स्थानीय पर उनका बलिदान दिवस मनाने की शुरुआत मित्रसंघ से करायी। 52 वर्षों से निरंतर यह आयोजन हो रहा है। इन 52 वर्षों की समय अवधि में स्वयंसेवक अर्जित वर्मा ने वीरगंगा स्मृति रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। वर्ष 1975 में पंचतारा में वीरगंगा दुर्गावती को राजाज्य प्रतीका की स्थापना तत्कालीन महाराष्ट्र प्रमुख धर्मवीर पारनेसे से कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रतीमा अनावरण समारोह का संयोजन भी मित्रसंघ की ओर से किया। स्व.अजित वर्मा ने जबलपुर विश्वविद्यालय का नामकरण भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कराया। लेडी एलर्मीन हॉस्पिटल का नामकरण भी रानी दुर्गावती के नाम से किया। उन्होंने वीरगंगा दुर्गावती पर एक डाक टिकट भी तत्कालीन संसार में ही स्व. अर्जुन सिंह से जवाबपुर में मित्रसंघ के आयोजन में जारी करवाई थी।

गढ़ा मंडला राज्य की महान वीरगंगा रानी दुर्गावती को अब जाकर देश व्यापी पहचान मिलने जा रही है। ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीरगंगा दुर्गावती के बलिदान और उनके शौर्य को नमन करते हुए वीरगंगा दुर्गावती के 5 अक्टूबर को उनकी जयंती को भारत सरकार की ओर से पूरे देश में मनावने एक घोषणा की गई है।



वीरगंगा दुर्गावती को इतिहास को लेकर कोई संबंधित साहित्य भी उपलब्ध नहीं था। स्वयंसेवक अजित वर्मा ने वीरगंगा दुर्गावती के इतिहास एक शोधपरक पुस्तक वीरगंगा दुर्गावती का प्रकाशन भी मित्र संघ की ओर से किया। मित्र संघ द्वारा वीरगंगा दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर साय-साय पिछले 5 वर्ष पूर्व से ही वीरगंगा दुर्गावती के 5 अक्टूबर को बलिदान दिवस जन्मदिवस के अवसर में की थी। शुरुआत मित्रसंघ ने की। पिछले वर्ष वीरगंगा दुर्गावती के जन्म दिन पर एक सप्ताह चक्रवर्त। प्रतिगोष्ठा भी मित्रसंघ ने भंडाराल में आयोजित करायी। मित्र संघ ने वीरगंगा दुर्गावती को निरंतरता रानी रहने से जबलपुर के स्मृति जिलों में भी वीरगंगा दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजनों की शुरुआत हुई है। इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने 22 जून से प्रदेश के 5 स्थानों से गौरव यात्रा प्रारंभ किया। इसका समापन शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी वीरगंगा दुर्गावती की स्मृति रक्षा के लिए की हैं। मित्र संघ और मिलन की वीरगंगा रानी दुर्गावती स्मृति रक्षा अभियान समिति के संयोजक मोहन राशि, सचिवराज शेटकर तथा सहसंयोजक पतिवारा में वीरगंगा दुर्गावती रक्षा की रक्षा के लिए प्रकाशम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई वीडियो का लिंक उनके प्रति आभार व्यक्त किया है।

हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग का दिये निर्देश पुलिस अधिकारी से की गई वसूली राशि 90 दिन के भीतर लौटाएं

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद हीएसपी के खिलाफ जारी की गई रिकवरी अवैधानिक पाते हुए निरस्त कर दी। जस्टिस मनिन्दर सिंह भट्टों की एकलपौठ ने पुलिस विभाग की निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता पुलिस अधिकारी से की गई वसूली राशि 90 दिन के भीतर लौटाएं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर 6 फंसदी वार्षिक दर से ब्याज देना होगा।



मूलतः इंदौर के रहने वाले शशि प्रकाश दुबे ने याचिका दायर कर बताया कि वे जुलाई 2017 में बैतुल से डीएसपी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। याचिकाकर्ता की ओर से

अधिवक्ता प्रशान्त अक्वथी, आरोपित विवेक व असिम विवेकी ने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद 12 सितंबर 2017 को रिकवरी नोटिस जारी किया गया। विभाग ने कहा कि याचिकाकर्ता को द्वितीय सम्पत्तिका

याचिकाकर्ताओं को प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने हाईकोर्ट के निर्देश

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतिम आदेश के तहत दो याचिकाकर्ताओं को प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय से बाध्य होगा। दूरअसल, अनुप्रात लोक शिक्षण संचालकालय भोपाल द्वारा भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत वर्ष 2020 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का एक जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

याचिका में इस अधिसूचना को वैधानिकता को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने राज्य शासन व अन्य से जवाब तलब किया है। नरसिंहपुर निवासी अंकिता इराचये और शिवानी देसा की ओर से अधिवक्ता रामेश सिंह डाकर ने पत्र लिखा। उन्होंने दलील दी कि उक्त अधिसूचना शिक्षक भर्ती नियम 2018 तथा सामान्य प्रशासन विभाग निर्देशों के विपरीत है। इसके तहत राज्य शासन की सोधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयुसीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

गांजा तस्कर को पांच वर्ष का कारावास

जबलपुर। एनडीएस के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने गांजा तस्करों के आरोपीत गौसलपुर निवासी मुन्ना उर्फ मुन्ना का दोष सिद्ध पाया।



वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अरविंद जैन ने पत्र रखा। उन्होंने दलील दी कि 20 अप्रैल, 2017 की रात्रि में आरोपीत रेतवे कांसिस पुलिस के समीप काले रंग की गांजा तस्कर खड़ा था। वह किसी ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा था। पुलिस ने सड़क के आधारे पर जलती लौ। वह तीन बिक्री गांजा बरामद हुआ। लिखा, अपराध पंजीबद्ध कर लिया। अदालत ने दोष साबित पाकर सजा सुना दी।

कुटुम्ब न्यायालय से मिली पत्नी की कूरता से हलाकान पति को राहत

जबलपुर। कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश केएन सिंह की अदालत ने पत्नी की कूरता से हलाकान पति को राहत दे दी। इससे रहता विवाह विच्छेद की याचिका मंजूर कर दी गई। याचिकाकर्ता जगदीश मौर, मरा फाटक निवासी दीपक विश्वकर्मा की ओर से अधिवक्ता राजनीश जायसवाल ने पत्र रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता की पत्नी 2015 से निरंतर प्रक्रिया कर रही थी। इससे तंग आकर विवाह विच्छेद की मांग करनी पड़ी। इस बीच मेल-मिलाप, सुलह के हर संभव प्रयास किए गए। पुनर्वास के संबंध में कार्यवाही की गई। लेकिन पत्नी के सख्त व आचरण से प्रतीत होता है कि वह भविष्य में अपने विवाह को कायम रखने की इच्छा नहीं है। इसके लिए वह तैयार व तयार नहीं है। वह पति को कुत्तापूर्ण व्यवहार के जर्जर शारीरिक व मानसिक तौर पर बेहद कष्ट दे चुकी है। ऐसे में याचिकाकर्ता का उसके साथ रहना संभव नहीं है। वह विवाह समाप्त करने की मांग से अलग हो कर शांति में अस्था है। वह अपने बच्चे जीवन शांति से जीना चाहता है। उसका प्रत्यक्ष भीड़ डमकाने से याचिकाकर्ता के हक में फैसला करने से राहत अनुभव करती। अदालत ने तर्क सुनने के बाद याचिकाकर्ता के हक में आदेश जातिर कर दिया।



एसपी को ज्ञापन देकर एफआईआर करने की मांग गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप

जबलपुर। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सैकड़ों पदाधिकारियों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विजारी से मिलकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नाम पर फर्जीवाड़े करने वाली पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। एसपी ने पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि मामले को सूझ जड़ कर कारगर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

दोपहर साढ़े 12 बजे सिविल लाइन स्थित पुलिस अधीक्षक पहुंचे पदाधिकारियों ने कहा कि कुछ लोगों ने मिलकर जबलपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन संस्था के फर्जी चुनाव करा लिए। मात्र 7 व्यक्तियों की उपस्थिति में जिसमें 2 जीवित पदाधिकारियों के भी फर्जी हस्ताक्षर 20 जून 2022 त्रकारक पदाधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर करके उप पंजीबद्ध नामों एवं सोसाइटी के कार्यालय में वर्ष 1998 से 2022 तक का आय-व्यय का विवरण एक ही राइटिंग में प्रस्तुत किया है। फर्जीवाड़ा करके तीन व्यक्ति तीसरे पर उच्च संस्था के पदाधिकारियों बन गए।



खातों में लाखों रुपए की एकडी जमा, कर सकते हैं गोलगला
पदाधिकारियों ने कहा कि हमारी संस्था की

मृत पदाधिकारियों के हस्ताक्षर कर बैठ कर ली

जबलपुर। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में लगभग 200 सदस्य हैं। संस्था के अध्यक्ष कुल्लुब यादव हैं, जिससे मृत्यु 29 अक्टूबर 2017 को हो चुकी है। फर्जी एवं जबरन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में प्रस्तावित जमानतों से गुणा यादव अदालत में निर्दिष्ट 20 जून 18 हुई गुणा यादव के फर्जी हस्ताक्षर करके जमानतों प्रस्ताव को खंड। उपरान्त जमानत के उद्घाटन द्वारा रिश्वत अदालत की मृत्यु 27 अक्टूबर 2009 को हो चुकी है, लेकिन फर्जी एवं जबरन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में 20 जून 2020 से उनके जमानत कागज आया। इन रिश्वत अदालत के फर्जी हस्ताक्षर हैं। इन कर ली विवरणों कागजों का जमानत प्रस्ताव पत्र संस्था में भी की ही इन फैसले राजेश अकावर, लखन यादव ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कागजों कागजों, जमानत अदालत, कुल्लुब यादव, परबख्श रिश्वत, सुधीर आगवर्धनी, शिवानी अदालत, विरगा राजेश, प्रिंसे जमानत, अका उड्ड, सुरमा दायाल औरिस्ट अदालत रिश्वत काले सड़कर मीनू कंठा, उज्जय अदालत अकावर तरेरिया रिश्वत काले, दालदद कुल्लुब यादव उदरिस्ट अदालत रिश्वत काले रिश्वत अकावर अजिज कंठा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रिश्वत काले

महंगाई से थाली का जायका बिगड़ा टमाटर शतक के पार, अदरक ने बनाया दोहरा शतक

जबलपुर। बीते दस दिनों में आए मौसम के बदलाव ने जहां लोगों को गर्मी से निजात दिलाकर मौसम खुलनुका किया है। वहीं दूसरी तरफ सख्ती भाजी की अवक प्रभावित कर दामों में चीनी वृद्धि कर दी है। आज खलत यह है कि टमाटर जैसे रोजमर्रा के सब्जियां गौरव ब्या आम आदमी के बजट से बाहर हैं। जून की शुरुआत में 15 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर आज जुलाई की शुरुआत में 120 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। जबकि 40 रुपये किलो बिकने वाला अदरक 200 रुपये के पार पहुंच चुका है। बीते एक पखवाड़े के दौरान सब्जियों के दाम 30 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ चुके हैं। शहर और आस-पास के बाजारों में सब्जियों की रकबाएं आकर परभावित होने से यह बढ़ोतरी बढ़ गई है। टमाटर की अवक पर स्थानीय बाजार जबपुर, बालुआ और आलियाबाद आदि पर निरंतर हो रहा है जिसके चलते की 15 रुपये से 100 रुपये पर पहुंच चुका है। अदरक का सीजन समाप्त होने और नई फसल आने में वजह होने की वजह से



यहां दिलचस्प है की करीब 10 दिन पहले अदरक 60 रुपये किलो बिक रहा था जो अब 200 तक पहुंच रहा है। वहीं टमाटर के बाद 10 दिन पहले 40 थे जो अब 80-90 और 100 पर हैं। मूंग 120 से 150, आलू 14 से 18-20, प्याज 12 से 20 और 22, खीरा 20 बाला अब 40, बरबडी 30 रुपय से उछल कर 50 पर हैं। वहीं हाल सिंधी का है जो 20रुपय से 40 रुपय किलो, मुनगा 60 से 80 रुपय पर है तो लहसुन 70 से 80 रुपय किलो बिक रहा है। महज 10-15 के अंतराल में कमेबोरी सभी फल सब्जियों के दाम बढ़ें हैं।

अदरक के दाम तीन सप्ताह से आसमान पर हैं। इस समय अदरक 200 रुपये किलो से

ऊपर बिक रहा है। महंगाई से आम आदमी की थाली का जायका बिगड़ गया। लहसुन और खनिया के दाम आबक के अनुसार रोज घट-बढ़ रहे हैं। दो दिन पहले 30 रुपये किलो बिकने वाली धनिया पत्ती सोमवार को 80 रुपये किलो बिक रही थी। इसके प्रकार से लहसुन के दाम 70 रुपये किलो हैं, जो ऊपर नीचे हो रहे हैं। मसम दान के लिए फिलहाल राहत की बात है कि आलू और प्याज के दाम 25 से 30 रुपये किलो के बीच हैं। यद्यपि इनकी भी लोलेलता आबक खबर हो चुकी है। आज प्रयागराज, बाराबंकी और इटावा से आ रहा है, तो प्याज नासिक सहित महाराष्ट्र के कुछ जिलों से आ रही है। इनके अलावा पिंडी, बैंगन, गोभी, बींस, लूकी, मुनगा, मूंग और खीरा के दाम भी बरसात के चलते बढ़ रहे हैं। स्याबन है। स्थानीय बाजार पर आम आदमी की थाली में आने वाले व्ययधान की वजह से बढ़ने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि मीसम अब खुल रहा है तो स्थानीय आबक बढ़ेगी जिससे दाम नीचे आएंगे।

हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हटे अतिक्रमण

जबलपुर। हाई कोर्ट ने शहर के सैनिक सोसायटी क्षेत्र में लंबे समय से कब्जित अतिक्रमणों को 90 दिन के भीतर हटाने का महत्वपूर्ण आदेश पारित किया था। लेकिन समय गुजरता जा रहा है और अतिक्रमण जस के तस कायम हैं। इससे यहां निवास करने वाले अधिवक्ता संजय सोनकर व उनकी पत्नी करिष्मा सोनकर हलकायन हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि अतिक्रमणकारी परिवार हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी मजबूती कर रहे हैं। एक तो अतिक्रमणों के बावजूद क्षेत्र का वातावरण खराब कर रहा है, ऊपर से निर्माण कार्य के लिए सामग्री वाले ट्रकों का रास्ता रोक लिया जाता है। अवैध रूप से बनी पुलिसवा टूटने की दलील दी जाती है। जबकि हकीकत यह है कि अनुचित अतिक्रमणों की वजह से रोड संकी होकर गलीनुका हो गई है और नावियां समाप्त प्राय होतें हैं। वहीं सैनिक सोसायटी क्षेत्र के बावरी में सड़क डबों में तलबंद हो जाती है। नगर निगम अनुप्रात एनएस अमला अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा।



धर्मशाला निर्माण की आधारशिला विधायक तरुण मनोद ने रखी

जबलपुर। पूर्व वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं विधायक तरुण मनोद ने संयुक्त रजक समाज सभा खासगीय की धर्मशाला के प्रथम तल निर्माण का शिलान्यास कर आधारशिला रखी। इस अवसर पर उपस्थित संयुक्त रजक समाज सभा द्वारा किए जा रहे विभिन्न सामाजिक कार्यों की समीक्षा की कार्यक्रम का शुभारंभ भी नरसिंह और तल गाड़ों महाराज की पुजन अर्चना के साथ हुआ। जिसके बाद तरुण मनोद के द्वारा प्रथम तल के लिलाई ईंट रख कर भूमि पुजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के संस्थापक बालासुर राजक, अध्यक्ष योगेश राजक, दुधुमा, नीरज राजक, ओमकार राजक, राजेंद्र राजक, निरजन राजक, अजय राजक, बरदेव राजक, विनोद राजक, विहास राजक, एनएस सोलंकी, सुरेंद्र राजक, दिनेश राजक, हरीश राजक, दीपक राजक, बबलू राजक, रमेश राजक, मिश्र राजक आदि उपस्थित रहे।